राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.1(3)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ./गि.रि./2020–21/10963-86 जयपुर,दिनांकः 18.08.2021

<u>अधिसूचना</u>

जिला कलक्टर अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ, झुन्झुनु, कोटा, सवाईमाधोपुर व टोंक से प्राप्त रबी फसल 2020–21 (सम्वत–2077) में ओलावृष्टि से खराबा होने की नियमित गिरदावरी/विशेष गिरदावरी रिर्पोट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंश ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ, झुन्झुनु, कोटा, सवाईमाधोपुर व टोंक जिलों के संलग्न सूची में अंकित ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 सितम्बर, 2021 तक लागू रहेंगेः–

क्रम संख्या	जिले का नाम	अभावग्रस्त गांवों की संख्या
1	अलवर	01
2	बाड़मेर	02
3	बीकानेर	04
4	भरतपुर	09
5	चित्तौड़गढ़	02
6	चूरू	02
7	हनुमानगढ़	19
8	झुन्झुनु	28
9	कोटा	08
10	सवाईमाधोपुर	06
11	टोंक	04
	कुल योगः–	**85**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

..............लगातार..............

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230
ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

ओ.वृ.पत्र